न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4123—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—11—2011 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 18/निगरानी/2011—12.

.....

1—लल्लू प्रसाद सोनी
2—शंभू प्रसाद सोनी
3— लक्ष्मी प्रसाद सोनी
4—अंजनी प्रसाद सोनी पुत्रगण
स्व0 श्री गजाधर प्रसाद सोनी
5—श्रीमती हिमाचली सोनी पुत्री
स्व0 श्री गजाधर प्रसाद सोनी
निवासी ग्राम हिनोती तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0
6—मु0 रामकली सोनी बेवा जगन्नाथ सोनी
7—मु0 रूकमनियां पुत्री स्व0 कबीर दास सोनी
निवासी ग्राम हिनोती तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—हरीदास तनय स्व. रामविशाल सोनी
2— जगदीश प्रसाद सोनी (मृत) वारिसान :—
अ—महिला आशादेवी पत्नी जगदीश प्रसाद
ब—रमेश प्रसाद सोनी स— रविशंकर सोनी
द—जितेन्द्र कुमार सोनी पुत्रगण जगदीश प्रसाद
निवासी ग्राम हिनोती तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0
3— गोबिन्द प्रसाद सोनी तनय स्व0 रामविशाल सोनी (मृतक)
वरिसानः—

अ– श्रीमती सावित्री सोनी पत्नी गोबिन्द प्रसाद सोनी
ब–प्रेम कुमार सोनी तनय गोबिन्द प्रसाद सोनी
स–देवेन्द्र कुमार तनय गोबिन्द प्रसाद सोनी
दोनों नाबालिग संरक्षिका मां सावित्री सोनी
4– रामकृपाल सोनी तनय रामविशाल सोनी
5– दिलउआ पुत्री स्व0 रामविशाल सोनी
6– भाईलाल तनय स्व0 रामविशाल सोनी (मृतक)
वरिसान :–
अ–आशा देवी पत्नी स्व0 भाईलाल सोनी
ब–अतुल कुमार सोनी पुत्र स्व0 भाईलांल सोनी
निवासी ग्राम हिनोती तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0
7–रामदरश तनय स्व0 श्री काशीप्रसाद
8–छोटेलाल तनय स्व0 श्री काशीप्रसाद
9–रामनिधि तनय स्व0 श्री काशीप्रसाद
10–छोटिया पुत्री स्व0 श्री काशीप्रसाद
निवासीगण ग्राम हिनोती तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

–––– अनावेदकगण

.....

श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 18/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–11–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हिनौती जनरल न0 1092 तहसील गोपदबनास वर्तमान तहसील सिहावल में स्थित भूमि खसरा कमांक 391 नया नम्बर 448 रकवा 0.17 एकड़ मूलतः म0 प्र0 शासन की भूमि थी। उक्त भूमि वर्ष 1958–59 के पूर्व उपवर्ग–2 में अकृषि भूमि रकवा 0.10 एकड़ तथा उपवर्ग 3 में रकवा 0.07 एकड़ रास्ता सड़क के रूप में दर्ज रहा आया। वही स्थिति 1958–59 की खतौनी व गस्ती खसरा में भी अंकित होता रहा । दिनांक 17.4.87 को सीमांकन करने राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी गये तब यह जानकारी हुई कि उक्त भूमि का अनावेदमकगण के पिता कबीरदास ने अपने नाम पटट्ा करवा लिया था। कलेक्टर द्वारा आवेदन स्वीकार कर भूमि म0 प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश दिया इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को निगरानी में लेने तथा इसके विधि तथ्यों जैसे म्याद जैसे महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी करके प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है क्यों कि स्वप्रेरणा से निगरानी में प्रकरण लेने पर भी समुचित परिसीमा का ध्यान रखते हुये ही कार्यवाही करना था क्यों कि स्व0 कवीरदास को प्रश्नााधीन भूमि में वहुमुख्य अधिकार प्राप्त व पैत्रिक सम्पत्ति थी राजस्व अधिकारियों की गलती से म0 प्र0 शासन इन्द्राज हुआ। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगण को सुनवाई का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश परित किया गया है, वह उचित है। उसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जावे।

5-- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा माननीय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीधी जिला सीधी मूल व्यवहार वाद कमांक 428ए/16 दिनांक 31.1.2017 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की। सिविल न्यायालय के आदेश की प्रति से स्पष्ट है कि आवेदकगण के पक्ष में सिविल न्यायालय से आदेश पारित हो गया है। राजस्व न्यायालय पर मान0 सिविल न्यायालय का आदेश बंधनकारी है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा मान0 जिला न्यायाधीश सीधी के सिविल अपील कमांक 26ए/17 निगरानी मेमों की प्रति एवं आदेश पत्रिका की प्रति प्रस्तुत की जिसमें पेशी दिनांक 11.5.17 नियत थी लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई स्थगन नहीं था। माननीय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीधी जिला सीधी मूल व्यवहार वाद कमांक 428ए/16 दिनांक 31.1.2017 के आदेश के परिप्रेक्ष्य न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 18/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2011 निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर